बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या:– 3/अ०प्र०–1–206/2013 1937 /पटना, दिनांक :– 11.9.23

जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा कलानौर पथ में मरम्मति कार्य की कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निर्माण कार्य में पायी गई अनियमितता के लिए श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से विभागीय पत्रांक 3844 दिनांक 20.10.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 01.12.2014 की तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गई। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया एवं इस मामले में वित्तीय क्षति होने का भी मंतव्य अंकित किया गया। अतः कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितता यथा पथ में premix Carpet कई जगह क्षतिग्रस्त एवं Surface में undulation पाये जाने, Flank में आंशिक मिट्टी कार्य का proper compaction नहीं होने के बावजूद इस मद में प्रावधानित मिट्टी का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने तथा पथ में कराया गया कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर श्री पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत संकल्प सं० 879 दिनांक 17.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 5491 दिनांक 30.11.2018 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध गठित सभी 05 आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से समीक्षा कराई गई। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा समीक्षोपरान्त यह मंतव्य अंकित किया गया कि आरोप स०–2 जो Premix carpet के कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने एवं Surface undulation से संबंधित है, के बचाव में आरोपी पदाधिकारियों के द्वारा दिये गए बचाव बयान पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार्य नहीं है। Premix Carpet का क्षतिग्रस्त होना एवं Surface undulation दोनों ही भौतिक घटनायें हैं। इनका existence ऑखों से दिखता है। अतः संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य कि इन त्रुटियों के संदर्भ में जॉच पदाधिकारी द्वारा कोई तकनीकी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये ये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, हास्यास्पद है। अतः आरोपों सं० –2 के बचाव बयान से आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गए बचाव बयान पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1674 दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

6. इस बीच पथ के जॉच प्रतिवेदन में आकलित की गई वित्तीय क्षति की राशि में से कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निर्धारित राशि 7920/– की वसूली श्री पासवान से कर ली गई।

7. श्री पासवान द्वारा पत्रांक 01 दिनांक 24.02.2020 के माध्यम द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा अभियंता प्रमुख से कराई गई। अभियंता प्रमुख द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री पासवान के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार करने का मंतव्य अंकित किया गया।

8. मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ 11/9/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–206/2013 1938 /पटना, दिनांकः– 11.9.23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/ 11/9/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–206/2013 1938 /पटना, दिनांकः– 11.9.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 11/9/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–206/2013 1938 /पटना/दिनांकः– 11.9.23

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद/ प्रशाखा पदाधिकारी–6/5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 11/9/2023

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-rwd-b

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–206/2013 /1938 /पटना/दिनांकः– 11.9.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1/9/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–206/2013 /1938 /पटना/दिनांकः–11.9.23

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/9/2023

विशेष सचिव